

..... सारीपुत्र कदम बनाम सुनील शर्मा

किस्म मुकदमा..... इजराय नं० 10122

| | |
|--------------------------------|---|
| हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्य अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए। |
|--------------------------------|---|

8/22 इजराय सीगे से बाद जॉच पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को इजराय की पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.22 को पेश हो

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

19/10/22

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प ..डा.प्र.शि.प श हर्द प्रस्तुकार वादी / पति ..प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पक्षकारानों के बीच आपसी सहमति नहीं होने से आवली आगामी दिनांक 18/11/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी / रीडर
माण्डलगढ़

18/7/23 - पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिफ्रीपार ने बताया की डिफ्री की पालना हो चुकी है। अतः पत्रावली के कोर्ट कार्यवाही बीच नहीं लेने से इसी स्टेटे पर कार्यवाही कोष की जाती है पत्रावली फेरसत शुमार ली।

[Signature]
डिफ्री की पालना हो चुकी है

18.07.23

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

